दिनांक :13.4.2019

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. रतन लाल हांगलू को विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अध्यापकों का एक खुला पत्र

प्रिय डॉ0 हांगलू,

कुछ सम्मानित अध्यापक मित्रों से हमें यह जानकारी मिली है कि हमारी मातृ संस्था इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पवित्र परिसर में हाल ही में संगीत विभाग में एक संगठन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में अपने संबोधन में आपने विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अध्यापकों, जिनमें हम भी सम्मिलित हैं, एवं एक पूर्व कुलपति के लिए अमर्यादित एवं असंसदीय भाषा का प्रयोग किया। आपने यह आरोप भी लगाया कि इन्हीं अध्यापकों के कारण विश्वविद्यालय आज जर्जर स्थिति में है। इस घटना से हम ही नहीं, विश्वविद्यालय के अनेकानेक छात्र एवं अध्यापक मर्माहत एवं दुःखी हैं। आपने यदि इन वरिष्ठ अध्यापकों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया होता तो आपको यह ज्ञात हो जाता कि इन सभी अध्यापकों का न केवल शिक्षा जगत में वरन् समाज के उत्थान में भी उल्लेखनीय योगदान रहा है। विश्वविद्यालय तथा अध्यापक संघ के विभिन्न पदों पर रहते हुए अपनी मातृ संस्था के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान भी रहा है। यदि समय–समय पर इन्होंने आपकी कार्य प्रणाली से असहमति प्रकट की है तो वह संस्था के प्रति उनकी चिन्ता के कारण थी। आप हमसे इस बात पर सहमत होंगे कि विश्वविद्यालय परिसर जहाँ एक ओर ज्ञान की आराधना के केन्द्र होते हैं, वहीं दूसरी ओर उनमें विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं संवाद का भी प्रमुख स्थान होता है। हमारा मानना है कि वर्तमान परिदृश्य में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इनका कोई स्थान नहीं रह गया है। यदि यह मान भी लिया जाय कि समस्या की जड़ कतिपय वरिष्ठ अध्यापक हैं तब भी कुलपति जी तीन वर्षों के अपने कार्यकाल में आपके पास समस्या का समाधान होना ही चाहिए था।

हम विनयपूर्वक आपसे पूछना चाहेंगे कि ऐसे कौन से निर्णय हैं जिन्हें आप लेना चाहते थे और इन वरिष्ठ अध्यापकों के कारण नहीं ले पाये? हम तो लगातार यही सुनते रहे हैं और इस कार्यक्रम में भी यह कहा गया कि आपने अत्यंत साहसिक एवं ऐतिहासिक निर्णय लिये हैं तथा विश्वविद्यालय में अभूतपूर्व विकास हुआ है। फिर भी क्या यह तथ्य आपके सामने नहीं है कि आपके कार्यकाल के प्रारम्भ में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की NIRF रैंकिंग वर्ष जो 2016 में 68 थी, लगातार गिरी – वर्ष 2017 में 95 हुई, 2018 में 144 और आज 2019 में हमारा विश्वविद्यालय शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों की सूची से बाहर हो गया है। ऐसा माना जा सकता है कि आपकी त्रुटिपूर्ण नीतियों एवं जल्दबाज़ी में लिये गये निर्णयों के कारण ही जनमानस के मन में विश्वविद्यालय के प्रति नकारात्मक धारण बन गई है और यही वह कारण है जिसके फलस्वरूप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के धारणा सूचकांक (Perception Index) में भारी गिरावट आयी है। धारणा सूचकांक में आयी इस अकल्पनीय गिरावट के कारण ही विश्वविद्यालय की वर्तमान रैंकिंग 200 के भी नीचे चली गयी है। क्या आपको नहीं लगता कि इस गिरावट पर आपको एवं आपके प्रशासन को गम्भीर आत्मावलोकन एवं आत्म मंथन की आवश्यकता है? क्या यह सत्य नहीं है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित एक उच्चस्तरीय समिति (गौतम देशीराजू समिति) ने, जिसमें इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज, जेएनयू तथा आई.आई.एम. जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के सदस्य सम्मिलित थे, अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित टिप्पणी की–

"कुलपति हांगलू निश्चित तौर पर दुस्साहसी व्यक्ति हैं किन्तु उनमें नेतृत्व क्षमता का अभाव है, जिसके कारण वे विश्वविद्यालय के सभी अंगों को साथ लेकर चलने में असमर्थ दिखाई देते हैं। यही नहीं, वे अपना पूरा समय रोजमर्रा की समस्याओं से जूझने में ही व्यतीत कर देते हैं। यही नहीं, वे प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण में भी असफल सिद्ध हुए हैं। समिति ने जो भी देखा उसके आधार पर कहा जा सकता है कि कुलपति विश्वविद्यालय को एक छोटी सी चौकड़ी (Coterie) के माध्यम से चला रहे हैं जबकि विश्वविद्यालय के समस्त अंगों (अध्यापकों एवं छात्रों) से उनका सम्पर्क टूट गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रबन्धन नाम की कोई चीज विद्यमान नहीं है।

समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि विश्वविद्यालय की आधारभूत संरचना अत्यंत जर्जर स्थिति में है।

प्रवेश परीक्षा में गंभीर अनियमिततायें दिख रही हैं।

विश्वविद्यालय में कुलसचिव एवं वित्त अधिकारी कार्यालय अस्तित्वहीन हैं तथा परिस्थितियाँ इतनी गंभीर हैं कि यदि मानव संसाधन विकास मंत्रालय शीघ्र कार्रवाई नहीं करता तो विश्वविद्यालय को चलाना ही दुष्कर हो जायेगा।"

क्या आपकी कार्य प्रणाली और निर्णयों के कारण माननीय उच्च न्यायालय में सैकड़ों की संख्या में रिट याचिकायें दाखिल नहीं हुई हैं? क्या दर्जनों बार आपके विरुद्ध अवमानना की याचिकायें दाखिल नहीं की गयी हैं, जिनमें हमें बहुत दुःख से कहना पड़ रहा है कि अनेकों बार आपको व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर सफाई देनी पड़ी है? एक अवमानना याचिका में तो न्यायालय ने आपके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी करने की बात तक कह दी। यही नहीं, एक मामले में उच्च न्यायालय ने एक अभूतपूर्व आदेश देते हुए आपके वेतन एवं भत्तों के भुगतान पर भी रोक लगा दी थी।

अध्यापक किसी भी शैक्षणिक संस्था की आत्मा होते हैं। यह माना जाता है कि– "Teachers are not the employees of the University – They are the University". विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों में अध्यापकों की हाल में जो नियुक्तियाँ हुईं उनके विषय में व्यापक अनियमितताओं, पक्षपात एवं भ्रष्टाचार के अनगिनत आरोप विश्वविद्यालय के अध्यापकों, कार्यपरिषद के सदस्यों तथा अनेकों अभ्यर्थियों द्वारा लगाये गये हैं। हमें पता नहीं है कि वे कितने सत्य हैं, पर क्या जहाँ धुआँ हो वहाँ आग नहीं होती? यह भी तथ्य प्रकाश में आये हैं कि कुछ नियुक्तियाँ तो फर्जी डिग्री अथवा अंकपत्रों के आधार पर हुई थीं। क्या कारण थे कि हार्वर्ड, आई.आई.टी. एवं एन.आई.टी. के अत्यन्त योग्य अभ्यर्थियों की जान–बूझकर अनदेखी की गयी? इन सभी समाचारों एवं प्रत्यावेदनों के आलोक में ही आपने स्वयं उच्च न्यायालय के एक अवकाश प्राप्त न्यायमूर्ति को जाँच का दायित्व सौंपा था, जिसकी रिपोर्ट के बारे में आज तक कोई जानकारी किसी को भी उपलब्ध क्यों नहीं है?

उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों के लिए यह कथ्य, कि – "Caesar's wife must be above suspicion", आज भी ब्रह्मवाक्य जैसा है। आपके अंतरंग सम्बन्धों को लेकर स्थानीय समाचार पत्रों में कई दिनों तक अत्यंत आपत्तिजनक समाचार छपते रहे हैं, हम सभी उससे अत्यन्त मर्माहत हुए। यदि आप उक्त प्रकरण में निर्दोष थे तो आपके लिए क्या यह सर्वथा उचित नहीं था कि विश्वविद्यालय तथा कुलपति के पद की गरिमा को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए आप स्वयं केन्द्र सरकार से यह मांग करते कि उच्चतम न्यायालय की विशाखा गाईडलाइन्स के आधार पर उक्त प्रकरण की जाँच के लिए एक उच्चस्तरीय जाँच समिति का गठन करें? क्या अभियुक्त अपने आरोपों की जाँच हेतु स्वयं जाँच समिति गठित कर सकता है? फिर भी आपने विश्वविद्यालय के स्तर पर एक सदस्यीय जाँच समिति का गठन कराया, जिसके एक मात्र सदस्य उच्च न्यायालय के एक अवकाश प्राप्त न्यायमूर्ति थे और वे "हितों का टकराव" (Conflict of Interest) के दायरे में भी आते थे। जाँच समिति ने न तो आपका पक्ष जानने का प्रयास किया और न ही दूसरे पक्ष (महिला) को सुनवाई का अवसर दिया, वह भी तब जब दूसरे पक्ष (महिला) ने लिखित रूप में इलाहाबाद आकर अपना पक्ष रखने की अनुमति मांगी थी। जाँच समिति ने आपको कोई "क्लीन चिट" नहीं प्रदान की, वरन् यह कहते हुए कि उनके समक्ष कोई लिखित शिकायत ही नहीं की गयी है, विशुद्ध तकनीकी आधार पर सम्पूर्ण प्रकरण पर पर्दा डाल दिया। विगत दो दिनों में प्रकाशित समाचारों से भी यह नही लगता कि संदर्भित प्रकरण का पटाक्षेप हो गया है या फिर आप उससे पाक–साफ होकर निकल आये हैं। हमारा मानना है कि निष्पक्ष जाँच की रिपोर्ट के आधार पर आपका निष्कलंक सिद्ध होना न केवल व्यक्तिगत रूप से आपके हित में होता वरन् हमारी मातृ संस्था भी इस कलंक से मुक्त हो गयी होती।

क्या यह सही नहीं है कि आपने कई बार अध्यापकों के सम्मुख कहा है– "Ordinance, my foot"! आपके अनियमित एवं अविधिक निर्णयों की एक लम्बी फेहरिस्त है, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि आप "Rule of Law" में विश्वास नहीं करते। हमें ऐसा लगता है कि आपके इन निर्णयों से न केवल विश्वविद्यालय और अध्यापकों के सम्मान को ठेस पहुँची है वरन् परिसर में पठन–पाठन का वातावरण समाप्तप्राय हो गया है। समाचार पत्रों में आये दिन परिसर में घटने वाली

हिंसा की घटनाओं, छात्रावासों में हुई हत्याओं, विधि संकाय तथा छात्रावासों में घटी आगजनी की घटनाओं के बारे में पढ़कर हमें लगता है कि परिसर में भय एवं आतंक का वातावरण विद्यमान है।

क्या यह सत्य नहीं है कि आपकी कार्यप्रणाली तथा अनियमितताओं के सम्बन्ध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा समय-समय पर महामहिम विजिटर/राष्ट्रपति को तथ्यों से अवगत कराया जाता रहा है? हाल ही में ऐसे ही प्रकरण में महामहिम विजिटर ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को निर्देश दिया है कि आपको एक "कारण बताओ नोटिस" जारी की जाय और उत्तर मिलने के पश्चात् जाँच समिति के गठन के लिए सम्पूर्ण प्रकरण को उनके समक्ष पुनः प्रस्तुत किया जाय।

महोदय, हम में से अनेक इस संस्था से लगभग अर्ध शताब्दी से जुड़े हैं। हम इसका अहित क्यों चाहेंगे जब हम विश्वविद्यालय के सर्वांगीण विकास के लिए सर्वदा कटिबद्ध रहे हैं। हमने विश्वविद्यालय का वह स्वर्णिम युग भी देखा है जब परिसर में प्रो0 मेघनाथ साहा, प्रो0 के0एस0 कृष्णनन, प्रो0 नीलरत्न धर, प्रो0 फिराक गोरखपुरी, प्रो0 जे0के0 मेहता प्रो0 कृष्णा जी, प्रो0 ईश्वरी प्रसाद, प्रो0 जी0 आर0 शर्मा जैसे मूर्धन्य विद्वान कार्यरत थे और हमारा विश्वविद्यालय "पूरब का ऑक्सफोर्ड" कहलाता था। विश्वविद्यालय एवं छात्रों के व्यापक हितों के आधार पर आपकी कार्यप्रणाली, आपके विचारों तथा आपके निर्णयों से असहमत होने का अधिकार हमें भारत के संविधान ने मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान कर रखा है और हम आपको यह विश्वास दिलाते हैं कि हममें से कोई भी आपके प्रति पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं है।

हमें आपसे यह अपेक्षा है कि-

- संगीत विभाग में वरिष्ठ अध्यापकों के लिए अपने सम्बोधन में आपने जिस अमर्यादित एवं असंसदीय शब्दावली का प्रयोग किया था, उसके लिए आप खेद प्रकट करेंगे।
- यदि आपको लगता है कि हमारे क्रियाकलापों से विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा पर कोई आघात पहुँचा है तो हम आपको आमंत्रित करते हैं कि एक निश्चित तिथि एवं तटस्थ सार्वजनिक स्थान पर प्रयागराज के नागरिकों के सम्मुख हमसे संवाद हेतु समय निर्धारित करें।

भवदीय,

रमाचरण त्रिपाठी
भूतपूर्व प्रोफेसर, मनोविज्ञान विभाग
पूर्व सदस्य UGC व ICSSR

अरुण कुमार श्रीवास्तव

(यू. एस. राय)

रंजना कक्कड़
भूतपूर्व अध्यक्ष, इलाहाबाद विश्वविद्यालय अध्यापक संघ
अध्यक्षा, महिला सलाहकार बोर्ड (इ.वि.वि)

हस्ताक्षरकर्ता: 1. रमाचरण त्रिपाठी [भूतपूर्व प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, पूर्व सदस्य, UGC व ICSSR]

2. महेश चन्द्र चट्टोपाध्याय [भूतपूर्व विभागाध्यक्ष, रसायन विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय]
3. अरुण कुमार श्रीवास्तव [भूतपूर्व डीन विज्ञान संकाय, पूर्व उपाध्यक्ष एवं महासचिव, इ. वि. वि. अध्यापक संघ (ऑटा)]
4. विनयचन्द्र पाण्डे [पूर्व विभागाध्यक्ष, मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विभाग, पूर्व महासचिव, इ. वि. अध्यापक संघ, पूर्व महासचिव, उ. प्र. आवासीय विश्वविद्यालय शिक्षक महासंघ (FUPRUTA)]
5. यू.एस.राय [भूतपूर्व डीन वाणिज्य संकाय]
6. रंजना कक्कड़ [भूतपूर्व अध्यक्ष, इलाहाबाद विश्वविद्यालय अध्यापक संघ, (पूर्व) अध्यक्ष, महिला सलाहकार बोर्ड (इ.वि.वि.)]